# न्यायालय समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधि. . . . . टना।

ई0सी0 अपील वाद सं0–07/2016–17

कामेश्वर साव **बनाम** राज्य

| आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |

## आदेश

प्रस्तुत अपील वाद कामेश्वर साव, पिता स्व0 मुंशी साव, ग्राम–तिसखोरा, पंचायत–नवही, प्रखण्ड–नौबतपुर, दानापुर, जिला–पटना जन वितरण प्रणाली के बिक्रेता अनुज्ञप्ति सं0 71/07(रद्द) द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, दानापुर के आदेश ज्ञापांक 369(आ0) दिनांक 28.03.2016 के विरूद्ध बिहार सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश–2007 के कंडिका–15 के अंतर्गत दिनांक 22.04.2016 को दाखिल किया गया। जिसे वाद प्रतिग्रहित के लिए दिनांक 20.05.2016 को तिथि निर्धारित की गई।

अभिलेख अवलोकन किया। दिनांक 10.02.2018 को अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुनकर, वाद प्रतिग्रहित किया गया, निम्न न्यायालय के अभिलेख मांगते हुए, अगली तिथि 27.03.2018 निर्धारित की गयी। दिनांक 27.03.2018 को उभय पक्ष उपस्थित हुए। निम्न न्यायालय का अभिलेख प्राप्त। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना।

अपीलकर्ता के अपील आवेदन में अंकित है कि प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, नौबतपुर के द्वारा उनकी दुकान का निरीक्षण दिनांक 27.08.2015 को किया गया एवं समर्पित जांच प्रतिवेदन में उनके विरूद्ध निम्न अनियमितताये प्रतिवेदित की गयी :–

(1) भण्डार –सह– मूल्य प्रदर्शन पट्ट नहीं पाया गया।

(2) उपभोक्ताओं को न तो केशमेमों दिया जाता है और न हीं इसका संधारण हीं किया जाता है।

(3) दुकान का वितरण पंजी, किरासन–तेल, अन्त्योदय, P.H.H का खाद्यान्न का पंजी संधारित नहीं पाया गया।

(4) लाभुकों की सूची प्रदर्शित नहीं पायी गयी।

(5) किरासन तेल तथा खाद्यान्न निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर वितरित किया जाना।

उक्त आरोपों के सम्बन्ध में अनुमण्डल पदाधिकारी, दानापुर के ज्ञापांक 1113 (आ0) दिनांक 10.09.2015 द्वारा उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया। अपीलकर्ता बिमारी के आधार पर दो महीने का अवकाश स्वीकृत करने के लिए दिनांक 12.10.2015 को आग्रह किया। अनुमण्डल पदाधिकारी, दानापुर द्वारा ज्ञापांक 104 दिनांक 12.01.2016 से पुनः स्पष्टीकरण पूछा गया। तदोपरान्त उनके द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया, जिसमें उन्होंने जांच प्रतिवेदन में लगाये सभी आरोपों का खंडन किया। साथ हीं 26 (छबीस)

कार्डधारक का ब्यान पंचायत के मुखिया की अनुशंसा सहित सम्पर्पित किया। अपीलकर्ता का कथन है कि अनुमंडल पदाधिकारी, दानापुर द्वारा उनके स्पष्टीकरण पर विचार नहीं किया गया। उनका यह भी कहना है कि स्पष्टीकरण के साथ उन्हें जाँच प्रतिवेदन की प्रतिलिपि उपलब्ध नहीं करायी गयी, जो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न मामलों में पारित आदेश के आलोक में आवश्यक है। उनके द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुए, उनकी अनुज्ञप्ति को पुनर्बहाल करने का अनुरोध किया गया।

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने अपील आवेदन में अंकित बातों को दुहराते हुए कहा कि अनुमंडल पदाधिकारी, दानापुर द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत नहीं है। उनका कहना है कि Cr PC की धारा 2(i) एवं 6(A) के आलोक में शिकायतकर्ता का शपथपत्रित ब्यान नहीं है, इसलिए उसे साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। उनका कहना है कि अपीलकर्ता एक गरीब आदमी है एवं जन वितरण प्रणाली की दुकान ही उनके जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था। इन्हीं आरोपों पर उनके द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, दानापुर द्वारा अनुज्ञप्ति रद्द किए गए जाने सम्बन्धी आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

विशेष लोक अभियोजक का कहना है कि प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, नौबतपुर द्वारा अपीलकर्ता की दुकान के निरीक्षण के क्रम में गम्भीर अनियमिताएँ प्रतिवेदित की गयी है। अपीलकर्ता द्वारा अपने स्पष्टीकरण के साथ मुखिया की अनुशंसा एवं 26 (छब्बीस) उपभोक्ताओं के ब्यान की प्रति अनुमंडल पदाधिकारी को उपलब्ध कराया, परन्तु वितरण पंजी के नियमित संधारण, कैश मेमों निर्गत करने आदि के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य समर्पित नहीं किया गया। अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित आरोपों की प्रमाणिकता के आधार पर ही आदेश पारित किया गया है।

अपीलकर्ता द्वारा अपील आवेदन में जाँच प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध नहीं कराए जाने की बात कहे जाने का कोई औचित्य नहीं है। वे इसकी मांग अनुज्ञापन पदाधिकारी से स्पष्टीकरण समर्पित करने के पूर्व का सकते थे। इस प्रकार अपीलकर्ता की दलील आधारहीन है। उनका कृत्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2011 एवं सम्प्रति सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के प्रावधानों का उल्लघंन है। इन्हीं आधारों पर उनके द्वारा अपील आवेदन को अस्वीकृत करने का अनुरोध किया गया।

अभिलेख पर उपलब्ध, निम्न न्यायालय के अभिलेख के परिशीलन से यह ज्ञात होता है कि अनुमण्डल पदाधिकारी, दानापुर के आदेश ज्ञापांक 369 दिनांक 28.03.2016 में स्पष्ट उल्लेखित है कि बिक्रेता द्वारा अपने स्पष्टीकरण के साथ साक्ष्य के रूप में न तो कैशमेमों की प्रति समर्पित किया और न खाद्यान्न वितरण से सम्बन्धित वितरण पंजी तथा भण्डार पंजी समर्पित किया गया है। जिससे उनके इस दावे को सम्पुष्टि हो सके कि उनके द्वारा सही तरीके से अन्त्योदय, P.H.H खाद्यान्न एवं किरासन तेल का नियमित तौर निर्धारित मूल्य पर वितरण किया गया है बल्कि कैशमेमों के प्रति समर्पित नहीं

किया जाना उनके विरूद्ध उपभोक्ताओं से अधिक मूल्य वसूलने सम्बन्धित आरोप को प्रमाणित करता है।

अपीलकर्ता का अपील आवेदन, उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्क एवं अभिलेख पर उपलब्ध अन्य कागजातोंके आलोक में सम्यक विचोरापरान्त यह निष्कर्ष निकलता है कि अपीलकर्ता की दुकान की जाँच के क्रम में प्रतिवेदित अनियमितताएँ सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश–2011 एवं सम्प्रति सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के प्रावधानों का उल्लघंन है। उपभोक्ताओं द्वारा निरीक्षी पदाधिकारी के समक्ष लिखित ब्यान देकर अनियमितताओं की पुष्टि की गयी है। अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा अपीलकर्ता को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया एवं उनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर विचारोपरान्त आरोपों को प्रमाणित पाते हुए मुखर आदेश पारित किया है। अपीलकर्ता द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित करने से पूर्व अनुमंडल पदाधिकारी से जांच प्रतिवेदन की प्रति की मांग नहीं की गयी है, इसलिए उनका यह कहना कि जांच प्रतिवेदन उन्हें नहीं उपलब्ध करायी गयी, निराधार है। इस प्रकार अनुमंडल पदाधिकारी, दानापुर के आदेश ज्ञापांक 369(आ0) दिनांक 28.03.2016 में कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होता है।

अतः अपील आवेदन को अस्वीकृत करते हुए, वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

**लेखापित एवं संशोधित।**

27/3/18 27/3/18

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, पटना। समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, पटना।